डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के विचार और संसदीय लोकतंत्र

राकेश कुमार सुपुत्र तारीफ सिंह*

गाँव व डा. कौन्त, तहसील एवं जिला भिवानी–127309, हरियाणा, भारत

Email ID: rakeshkumarkaunt22@gmail.com

Accepted: 16.05.2022 **Published**: 01.06.2022

मुख्य शब्दः डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर।

शोध आलेख सार

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने जनतंत्र को अपनाया है, जो कि उच्चतम सिद्धान्तों, मूल्यों और आदर्शों पर आधारित है। भारतीय संविधान निर्माताओं को भारतीय परिस्थिति के अनुकूल संसदीय शासन पद्धति ही उपयुक्त लगी, क्योंकि इसमें शासन जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदार होता है, इसलिए संसदीय शासन का स्वीकार संविधान कर्त्ताओं ने किया। डॉ. अंबेडकर की संसदीय लोकशाही पर काफी निष्ठा थी। हुकुमशाही के वे विरोधक थे, परन्तु साथ ही उन्हें संशय था कि जाति–व्यवस्था, जाति–निष्ठ, राजनीति के कारण, इंग्लैण्ड में संसदीय लोकतंत्र जिस प्रकार सफल हुआ क्या भारत में हो पाएगा? क्योंकि भारत में जिस तरह की जाति–व्यवस्था है, वैसी इंग्लैण्ड में भी नहीं है और जातीयता के आधार पर राजनीति यदि शुरू हुई तो संसदीय शासन बिखरने में समय नहीं लगेगा। बहुसंख्य जाति द्वारा अल्पसंख्य जाति के लोगों पर अत्याचार, जुल्म न हो, इसका भय भी डॉ. आंबेडकर को था, इसलिए संसदीय शासन का आग्रह उन्होंने 1942 में किया था। वहीं 1947 में उन्होंने प्रतिपादन किया कि, भारत के लिए संसदीय शासन की अपेक्षा असंसदीय शास्त्र अधिक योग्य है, परन्तु संविधानकर्त्ताओं द्वारा विचार–विमर्श के बाद संसदीय शासन पद्धति को ही स्वीकार किया गया।

पहचान निशान

**Corresponding Author*

प्रस्तावना

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार राजकीय क्षेत्र में प्रजातंत्र स्थापित करने हेतु सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र निर्माण करना आवश्यक है। स्वतंत्रता और समता पर ही प्रजातंत्र की नींव टिकी हुई है। लोकतंत्र सशस्वी होने के लिये समाज में ऊँच–नीच, वो किसी भी आधार पर हो–चाहे सम्पत्ति के या जाति के आधार पर वो नष्ट होना

आवश्यक है। समाज में जहाँ जोर–जबरदस्ती हुई, वहाँ संसदीय लोकतंत्र की कल्पना करना बेकार है। उसी प्रकार से मनुष्य को प्राप्त अधिकारों को केवल कानूनी संरक्षण प्राप्त होने से नहीं होता, तो समाज की सामाजिक और नैतिक सद्सद् विवेक बुद्धि की मान्यता, बल, मिलन आवश्यक है। जब तक सामाजिक मन समता और स्वतंत्रता के विशेषताओं से प्रभावित नहीं होता, तब तक संसदीय लोकतंत्र निर्माण होना असंभव है। संसदीय लोकतंत्र में केवल जनता का सहभाग होना ही आवश्यक नहीं, बल्कि शासन लोगों के कल्याण हेतु होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में रक्त विरहित क्रांतिकारी परिवर्तन करने की क्षमता केवल प्रजातंत्र में है, ऐसा विश्वास डॉ. अम्बेडकर का था। इसकी सफलता हेतु समाज में समानता जवाबदार विरोधी पक्ष, कानून की नजरों मं समानता, प्रशासन में समान संधि इत्यादि गुण होने पर ही प्रजातंत्र यशस्वी हो सकता है। तात्विक दृष्टि से लोकतंत्र होने की अपेक्षा, व्यवहार में लोकतंत्र निर्माण होना जरूरी है। उसी प्रकार से डॉ. अंबेडकर ने भारतीय प्रवृत्ति में, व्यक्ति पूजा को महत्त्व देता है, उसका भी तीव्र विरोध करते हुए कहा कि– "भारतीय राजनीति में व्यक्ति पूजा का इतना प्रभाव है कि अन्य किसी भी देश के राजनीति में यह दिखाई नहीं देता। धार्मिक क्षेत्र में भक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग हो सकता है, परन्तु राजनीति में भक्तिमार्ग ये अधपतन व साथ ही हुकुमशाही को प्रोत्साहन देने वाला होगा।"

भारत द्वारा संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। इंग्लैण्ड के संसदीय लोकतंत्र से भारतीय लोग परिचित थे ही, साथ ही भारत में अंग्रेज सरकार ने समय–समय पर जो कौन्सिल एक्ट निर्मित किए, उनके परिणामस्वरूप भारत में संसदीय व्यवस्था के बीज क्रम–क्रम से बोए गए। इंग्लैण्ड में संसदीय लोकतंत्र यशस्वी हुआ, इसलिए भारत में भी होगा, ऐसा कहना असंभव है। शासन इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष जनता को जवाबदार रहता है।

जातिनिष्ठ राजनीति जहाँ होती है, वहाँ प्रजातंत्र शासन प्रणाली असफल होती है, ऐसा डॉ. अंबेडकर का कहना था।

उनके द्वारा इस संबंध में यह भी परामर्श दिया था कि व्यवहार में संसदीय लोकशाही का परिवर्तन हुकुमशाही में न हो जाये। संसदीय लोकशाही के अस्तित्व के लिए हमें जॉन स्टुअर्ट ने जो भय सूचक संदेश दिया है, उसका पालन करना चाहिए। "कोई व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा महान क्यों न हो जाए, उनके चरणों में अपने व्यक्ति स्वतंत्रता रूपी सुमन न चढ़ाये।" यह ठीक है कि जिन्होंने जन्म भर अपने मातृभूमि की सेवा की है, ऐसा महान व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता हमें व्यक्त करना चाहिए, लेकिन कृतज्ञता व्यक्त करने में भी कुछ मर्यादा होनी चाहिए।

उपरोक्त भय सूचक संदेश की आवश्यकता अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा भारत को है। क्योंकि भारतीय राजनीति में व्यक्तिपूजा ये भावना जितनी उग्र है। उतनी जागृतिक राजनीति में अन्य, कहीं दिखाई नहीं पड़ती, अतः व्यक्ति पूजा के कारण भारत में संसदीय लोकतंत्र न रहकर हुकुमशाही निर्माण हो जायेगी। साथ ही आर्थिक, सामाजिक समानता और बंधुत्व की भावना भी निर्माण करना संसदीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिये आवश्यक है।

वर्तमान में हमें डॉ. अम्बेडकर ने दी उपरोक्त चेतावनी उपयुक्त लगती है। क्योंकि 1950–1960 के दशक में संसदीय प्रणाली को भारत के लिये श्रेष्ठतम शासन प्रणाली मानते थे, परन्तु उसके बाद हमारा यह भ्रम टूटता नजर आ रहा है। आज हमारे राजनीतिक दल, जनता सभी, व्यक्तिपूजा और घराने शाही जातियता, धर्मधता को ज्यादा महत्त्व दे रहे हैं और राजनीतिक दलों के व्यवहार में मूल्यों के प्रति आग्रह नहीं है। राजनीतिक दल जन सामान्य से दूर हो रहें है। जनप्रभाव के अभाव में राजनीतिक दलों की राजनीति का चेहरा कुरूप हो रहा है।

संसद की श्रेष्ठता, शक्ति और प्राधिकार–ये बातें वर्तमान में सिर्फ आदर्श प्रतीत होती है। इनकी वास्तविक शक्ति और प्रभाव में सुनिश्चित रूप से कमी आई है।

हमारा देश खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। आज धार्मिक संकीर्ण कट्टरता को सामाजिक द्वेष के रूप में स्थापित होने दिया, अतः इस संकीर्ण मनोवृत्ति को हमें त्यागना होगा और राष्ट्रभक्ति की भावना नागरिकों में जागृत करनी होगी, तभी हम अपने राष्ट्र को बना सकते हैं। संसदीय शासन की श्रेष्ठता कम होने के कई कारण हैं। जैसे–

1. संसदीय शासन प्रणाली का राजनीतिक दलों पर आश्रित होना। राजनीतिक दल की सर्वोच्चता मानकर विधानमंडल की सर्वोच्चता को कायम नहीं रखा जा सकता।
2. राजनीतिक दलों के शक्तिशाली होने के कारण, विधायी प्रतिनिधियों का चयन जनता नहीं करती, बल्कि वह तो राजनीतिक दलों द्वारा चयन किए गए प्रत्याशियों में से ही एक को चुनती है। निर्वाचित प्रतिनिधित्व में इस कारण से अपने राजनीतिक दलों के प्रति अधिक लगाव रहता है।
3. राजनीतिक दलों के प्रभाव के कारण जो कार्यक्षम ईमानदार व्यक्ति होते हैं, वो भी अपने कार्य उचित नहीं कर पाते, उन्हें भय होता है कि कहीं इनके विरोध में गया तो दल से निष्कासित न किया जाए।

संसदीय लोकतंत्र के विकास हेतु सुझाव :

1. प्रादेशिक भावना के स्थान पर नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना निर्माण करना।
2. वैसे लोकशाही में राजनीतक दलों की आवश्यकता है, परन्तु इनकी संख्या में

वृद्धि पर अब रोक लगायी जानी चाहिए।

3. राजनीतिक दलों से शुद्धिकरण से ही संसदीय प्रणाली में परिवर्तन की आशा पूरी हो सकती है।
4. संचार साधनों को निष्पक्ष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, जनता को सच्चाई से अवगत कराए, ताकि जनता योग्य निर्णय ले सके।
5. भ्रष्टाचार जो कि जहर की तरह हमारे समाज, देश में फैल रहा है, उसे दूर करने हेतु उचित व्यक्ति को निर्वाचित किया जाए और सभी लोग अपने शुद्ध चरित्र और आत्मा के साथ राष्ट्र के लिये कार्य करे अपने काम में तत्पर रहें, तभी कुछ प्रमाण में यह कम किया जा सकता है।
6. गंभीर अपराधियों को राजनीति में स्थान न दिया जाए, इस संबंध में संसद द्वारा नियम होने के बाद भी उसे व्यवस्थित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। 10/01/11 के तरुण भारत इस वर्तमान पत्र में निर्वाचन आयोग ने भी इस संबंध में संसद द्वारा कठोर कदम उठाए जाएं–ऐसा कहा गया है।
7. निर्वाचकों में जागरूकता बढ़ाने का निरंतर प्रयास करना है।
8. दल, बदल और दल विभाजन जैसी प्रवृत्ति के लिये और दल के व्यवस्थित संगठन के लिये सुनिश्चित नियम और उनको कठोर रूप से लागू करने की आवश्यकता है।
9. मिली–जुली सरकार के संगठन के पहले ही नेतृत्व के चयन हेतु नियम बनाना आवश्यक है।
10. निर्वाचित सदस्यों द्वारा कैसा आचरण करना है, उसके प्रशिक्षण की पद्धति विकसित करना आवश्यक है।
11. विधानमंडल और अन्य राजकीय संस्थाओं और प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और इसके सदस्यों की निष्ठा संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिये आवश्यक है।
12. सदन को नहीं चलने देंगे, जैसे राजनीतिक व्यवहार को छोड़ना चाहिए।
13. सभासदों द्वारा असंसदीय आचरण को छोड़ना चाहिए। वास्तव में देखा जाए, तो कोई भी शासन प्रणाली बेकार नहीं होती, बल्कि उसको उपयोग में लाने वाले व्यक्ति बेकार होते हैं और संसदीय शासन पद्धति तो सर्वश्रेष्ठ शासन है। इस प्रणाली में जो दोष निर्मित हुए हैं, उन्हें दूर कर इसे सुचारू रूप से चलाया जा सकता है।

संदर्भ :

(1) तरूण भारत, 10/01/11.

(2) भारतीय पाष्चात्य विचारवंत, प्रा.प.सि. काणे।

(3) भारतीय राजकीय विचारवंत, प्रार. घ.
वराडकर. प्रा. र. घ.
(4) लोकराज्य मार्च, 2011.
(5) लोकराज्य, अक्टूबर 2006.